अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश,

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

शिक्षण शुल्क छूट (TFW) योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत सीटों के लिये

बी. फार्मेसी / डी. फार्मेसी / पी.पी.टी. 2011 / बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत च्वाईस लॉकिंग करने हेतु

ऑनलाइन ऑफ–कैम्पस काउंसलिंग हेतु संशोधित कार्यक्रम, सत्र 2011–12

शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत सीटों के लिये आयोजित हो रही काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित तिथियों के अनुसार अपनी च्वाईस लॉक करें:–

/ / प्राथमिकताक्रम के चयन को लॉक करने हेतु संशोधित समय–सारणी / /

क्र.	प्रक्रिया	डिप्लोमा पाठ्यक्रम ** (पीपीटी–2011 आधारित)	बी.फार्मेसी / डी.फार्मेसी (पीईपीटी–2011 आधारित)	बी.आर्क. (नाटा–2011 आधारित)
1.	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (**Online Registration**)	12 / 07 / 2011 के सायं 5 बजे तक	11 / 07 / 2011 के सायं 5 बजे तक	12 / 07 / 2011 के सायं 5 बजे तक
2.	दस्तावेजों का सत्यापन (**Documents Verification**)	12 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	11 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	12 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)
3.	इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (**Online Preference Selection, Choice Filling and Locking**)	08 / 07 / 2011 से 12 / 07 / 2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	08 / 07 / 2011 से 12 / 07 / 2011 की रात्रि 11.45 बजे तक	08 / 07 / 2011 से 12 / 07 / 2011 की रात्रि 11.45 बजे तक
4.	आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता एवं आवंटित संस्था में उपस्थिति (**Online availability of Allotment Letter & Reporting at Allotted Institution**)	15 / 07 / 2011 से 20 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	14 / 07 / 2011 से 18 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)	14 / 07 / 2011 से 20 / 07 / 2011 तक (प्रातः 10.30 बजे से सांय 5 बजे तक कार्य दिवसों में)

****नोटः– डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शिक्षण शुल्क छूट योजनान्तर्गत इस काउंसलिंग में प्रवेश का चांस लेने हेतु पीपीटी–2011 की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत आवेदन किया था तथा पीपीटी–2011 की परीक्षा में 57 या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, सम्मिलित हो सकेंगे।**

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर देय शुल्क समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये ₹ 280 / – (₹ 30 / – पोर्टल शुल्क सहित) तथा ऑनलाइन संस्थाओं की प्राथमिकताक्रम के चयन उपरांत लॉक करने हेतु ₹ 100 / – पोर्टल शुल्क देय होगा। उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं (नॉन–रिफण्डेबल) होंगे।
- ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन अधिकृत **सहायता केन्द्रों (Help Centres)** (जोकि मध्यप्रदेश के पोलीटेक्निक महाविद्यालय / महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय / राज्य के स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं) में कराना है जिसकी सूची वेबसाईट www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।
- **प्रवेश नियम व काउंसलिंग प्रक्रिया** की विस्तृत जानकारी www.dtempcounselling.org या www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन कर लेवें।
- **इस योजना के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को पूरे पाठ्यक्रम के दौरान अपनी संस्था एवं ब्रांच परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी तथा आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को संबंधित पाठ्यक्रम के लिये आयोजित अन्य किसी भी काउंसलिंग में आवंटन नहीं किया जावेगा।**
- **जो अभ्यर्थी इस योजना के अंतर्गत आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लेंगे वे आगामी चरण की मुख्य काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे।**
- यह काउंसलिंग प्रक्रिया केवल शिक्षण शुल्क छूट योजना की सीटों पर प्रवेश के लिए है। इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि जैसा कि प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति / शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित की गई हो, रियायत दी जावेगी। तथापि शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।
- अन्य समस्त श्रेणियों की सीटों के लिये मुख्य काउंसलिंग का विज्ञापन अलग से जारी किया जावेगा।

सम्पर्क फोन नं. 0755–4019025

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश